न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्याः 39/2022 एल.आर.एक्ट
GCMS No. 2022/56

चिमन खां पुत्र हाकम अली जाति मुसलमान साकिन खैरूवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

—— अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

— रेस्पोन्डेंट

उपस्थितः श्री विजय कुमार पारीक – अभिभाषक अपीलांट
मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक 16.07.2025

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 15.03.2022 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इसप्रकार है कि –

1– वादग्रस्त भूमि तहसील सादुलशहर के चक 21 पी.टी.पी का मुरब्बा नंबर 34 का किला नंबर 20 व 21 तादादी 2 बीघा, मुरब्बा नंबर 35 का किला नंबर 16 ता 18, 23 ता 25 तादादी 6 कुल 8 बिस्वा भूमि 1987 में अराजी काश्त पर अपीलांट को आवंटित हुई। उक्त वादगत भूमि का नवीनीकरण वर्ष 2005 तक हुआ। अपीलांट ने उक्त वादगत भूमि का पुख्ता आवंटन करवाने बाबत् प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के समक्ष प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर ने अपीलांट के उक्त प्रार्थना–पत्र को दिनांक 11.07.2007 को खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के उक्त आदेश के विरूद्ध अपील राजस्व अपील अधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष अपील प्रस्तुत की, मगर राजस्व अपील अधिकारी, श्रीगंगानगर ने उक्त प्रकरण को जिलाधीश श्रीगंगानगर को भेज दिया, जिस पर जिलाधीश श्रीगंगानगर ने अपीलांट के उक्त प्रकरण को

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

दिनांक 16.03.2009 को खारिज कर दिया। जिलाधीश, श्रीगंगानगर के उक्त आदेश दिनांक 16.03.2009 के विरूद्ध अपील राजस्व मण्डल, अजमेर में समक्ष निगरानी प्रस्तुत की। राजस्व मण्डल, अजमेर ने उक्त प्रकरण को दिनांक 05.06.2009 को अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर को रिमाण्ड कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय में उक्त प्रकरण अब तक विचाराधीन है। तहसीलदार सादुलशहर द्वारा अन्तर्गत धारा 22 उपनिवेशन अधिनियम का नोटिस दिनांक 27.02.2018 का जारी किया। अपीलांट द्वारा जवाब भी प्रस्तुत किया। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सादुलशहर ने दिनांक 13.03.2018 को अपीलांट पर 50 गुना तवान आयम करके बेदखल करने का आदेश पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, सादुलशहर के आदेश दिनांक 13.03.2018 के विरूद्ध अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशासन) श्रीगंगानगर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर ने अपीलांट की अपील को अस्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सादुलशहर के आदेश दिनांक 13.08.2018 को बहाल रखा। की। अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर उक्त आदेश दिनांक 15.03.2022 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की।

2– विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि वादगत भूमि सन 1987 में अराजी काश्त पर आवंटन सक्षम अधिकारी द्वारा की गई थी। उक्त आवंटन का नियमानुसार लगातार नवीनीकरण होता रहा हैं। सन 2005 तक लगातार नवीनीकरण हुआ व कब्जा काश्त अपीलांट का लगातार चला आ रहा है। अपीलांट ने नियमानुसार उक्त भूमि को पुख्ता आवंटन करवाने बाबत् प्रार्थना–पत्र उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर के समक्ष पेश किया। तहसीलदार, सादुलशहर की रिपोर्ट दिनांक 18.05.2007 में स्पष्ट अंकन है कि उक्त भूमि पर किसी प्रकार का विवाद नही है, कब्जा काश्त अपीलांट का है तथा पुख्ता आवंटन किया जाना उचित है। जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के निर्णय के खिलाफ अपीलांट ने राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी पेश की, राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अपीलांट की निगरानी दिनांक 05.06.2009 को स्वीकार की गई तथा उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर का निर्णय दिनांक 11.07.2007 राजस्व अपील अधिकारी, श्रीगंगानगर का निर्णय दिनांक 19.06.2008 तथा जिला कलक्टर का निर्णय दिनांक 16.03.2009 निरस्त किया गया तथा उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर को प्रकरण अपीलांट की

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

सुनवाई की जाकर तथा राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन कर साक्ष्य पेश करने का अवसर दिया जाकर पुनः पुख्ता आवंटन हेतु कार्यवाही कर निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रकरण पेशी ली गई और प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर आज भी जैरकार है। इस तथ्य की जानकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर को समक्ष पेश की जा चुकी थी फिर भी राजस्व मण्डल के आदेश की अवहेलना कर पत्रावली जैरकार होते हुए निर्णय पारित किया है, जो नियमानुसार गलत है। तहसीलदार सादुलशहर का निर्णय दिनांक 13.03.2018 को यथावत रखा जो गलत है क्योंकि अगर तहसीलदार के आदेश की पालना में अपीलांट को भूमि से बेदखल कर दिया जाता है तो राजस्व मण्डल के निर्णय की अवहेलना होगी। अपीलांट की आय का एकमात्र स्त्रोत उक्त आवंटित भूमि है। अपीलांट उक्त भूमि के आवंटन का पात्र है तथा पुख्ता आवंटन किया जाना चाहिए, राशि जमा करवाने हेतु तैयार है तथा राज्य सरकार के आदेश की पालना में नियमानुसार पुख्ता आवंटन किया जावें। अतः तहसीलदार सादुलशहर के आदेश दिनांक 13.03.2018 एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 15.03.2022 को निरस्त फरमावें।

3— राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि तहसील सादुलशहर के चक 21 पी.टी.पी का मुरब्बा नंबर 34 का किला नंबर 20 व 21 तादादी 2 बीघा, मुरब्बा नंबर 35 का किला नंबर 16 ता 18, 23 ता 25 तादादी 6 कुल 8 बिस्वा रकबे के संबंध अपीलांट अतिक्रमी है। जिस पर तहसीलदार सादुलशहर के आदेश दिनांक 13.03.2018 द्वारा अपीलांट को नाजायज काश्तकार अतिक्रमी मानकर भू—राजस्व का 50 गुणा तावान राशि वसूल करने व जैर अपील भूमि से बेदखल करने का आदेश दिया, जो नियमानुसार सही है। तहसीलदार ने किसी भी प्रकार का अनियमित एवं अवैधानिक कार्य नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर ने भी तहसीलदार सादुलशहर के आदेश दिनांक 13.03.2018 को सही मानकर अपीलांट की अपील को अस्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सादुलशहर के आदेश दिनांक 13.08.2018 को बहाल रखा। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें।

4— हमने अधिनस्थ न्यायालय का उपलब्ध अभिलेख तथा उभय पक्ष की बहस का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुए तहसीलदार सूरतगढ़ के निर्णय दिनांक 18.

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

10.2017 को सही मानते हुए अपीलांट को अतिक्रमी माना है और अपीलांट भी ऐसे दस्तावेज एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा, जिससे यह साबित हो सके कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय में सुना ना गया हों। अतः अधीनस्थ न्यायालयों तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.10.2017 एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.07.2018 को यथावत रखते हुए अपील अपीलांट को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

5— तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 16.07.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर